

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 12/2023

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 56 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।

—निगरानीकार—

बनाम

1. शर्मिला पत्नि राजेश कुमार, जाति जाट, निवासी ग्राम नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
2. सुरेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर आयु 54 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
3. ग्राम पंचायत नान्द, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू (राज.)।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरुद्ध निर्णय तारीख 08.11.2021 ग्राम पंचायत नान्द, पंचायत समिति मलसीसर पत्रावली उनवानी ग्राम पंचायत नान्द बनाम शर्मिला पत्नि राजेश कुमार जाति जाट निवासी ग्राम नान्द तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू बाबत आबादी आवास पट्टा विनियमितकरण बहक राजपाल पत्रावली दिनांक 25.08.2021

उपस्थिति:—

1. श्री इकरार अली, एडवोकेट.....निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट.....गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक : 30.4.25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि निगरानीकारान एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 व 2 की खसरा नम्बर 65 में आबादी भूमि स्थित है उक्त आबादी भूमि के मालिक कबीर जी के पूर्व में स्व० श्री रामदयाल थे जो अपने जीवनकाल में उक्त आबादी भूमि में एक मकान

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

बनाकर आबाद रहे। स्व० रामदयाल के के तीन पुत्र संतान क्रमशः रामेश्वर, किशनाराम व हनुमान पैदा हुए। रामेश्वर के तीन पुत्र संतान क्रमशः स्व. विधाधर, निगरानी संख्या 1 महेन्द्र एवं निगरानीकार संख्या 2 सुरेन्द्र पैदा हुए। स्व. विधाधर के परिवार में उनकी पत्नि संतोष तथा पुत्री राजबाला है। किशनाराम के तीन पुत्र संतान क्रमशः प्यारेलाल, राजपाल व राजेश पैदा हुए। हनुमान के एक पुत्र विकास पैदा हुआ। इस प्रकार ग्राम नान्द में स्थित स्व० रामदयाल की आबादी गुवाड़ी में रामदयाल की मृत्यु उपरान्त उसके तीनों पुत्रों का  $1/3-1/3$  बराबर-बराबर हिस्सा प्राप्त हुआ। जिसमें उनके तीनों पुत्र बिना विधिवत बंटवारे के ही उक्त भूमि पर काबिज आबाद है। उक्त भूमि स्व. रामदयाल के सभी वारिसान की संयुक्त कब्जे व स्वामित्व की चली आ रही है। इस स्थिति में गैर निगरानीकार संख्या 1 ने बेईमानीपूर्वक निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 2 व विधाधर तथा स्व० रामदयाल के अन्य विधिक वारिसान के संयुक्त स्वामित्व की आबादी भूमि को हड़पने व उनके साम्पमिक अधिकारों से वंचित करने के दुराशय से 300 वर्गगज भूमि से ज्यादा भूमि को ग्राम पंचायत नान्द के समक्ष अपनी आबादी भूमि बताकर एक पट्टा अपने नाम से बनवाने हेतु दिनांक 25.08.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर ग्राम पंचायत नान्द ने कथित रूप से निरीक्षण कमेटी गठित करना बताया तथा उक्त कमेटी की मौका निरीक्षण हेतु आदेश बताया गया तथा इसी कमेटी के द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट को आधार मानकर पट्टा जारी किया गया है। उक्त कमेटी की फर्जी रिपोर्ट को आधार मानकर दिनांक 25.01.2022 को आर्बिट्रेरी रूप से गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा निगरानीकार व स्व० रामदयाल के अन्य विधिक वारिसान के सह हिस्सेदारी की भूमि को उसकी स्वयं की आबादी भूमि मानकर आवासीय पट्टा जारी कर दिया। जिसका ग्राम पंचायत नान्द को पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार नहीं था। गैर निगरानीकार संख्या 1 आवेदन के संलग्न शपथ पत्र में उक्त भूमि में कोई अन्य हिस्सेदार नहीं होने का झुठा तथ्य प्रस्तुत किया है। प्रकरण में विवादित पट्टा संख्या 19 की पुश्त पर दर्ज चतुर्थसीमा में काट-छांट कर रखी है तथा पट्टा आवेदन तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में दर्ज चतुर्थसीमा आपस में मिलान नहीं होती है। पट्टाशुदा भूखण्ड आबादी भूमि में स्थित होने अथवा भूखण्ड भूमि के किस हिस्से में स्थित है के बारे में पट्टाकारी हल्का की कोई रिपोर्ट नहीं ली गई है। पट्टा आवेदन में गैर निगरानीकार संख्या 1 के पति व पति के भाईयों के हस्ताक्षर बतौर साक्षी करवाये गये हैं। आवेदन में किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये हैं। पट्टा पत्रावली में आमजन हेतु आपत्ति जारी करने उल्लेख तो है लेकिन ग्राम पंचायत नान्द द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2021 पारित करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया न ही समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करवाये गये, ना ही इसके नोटिस सहज दृश्य स्थानों पर चशपा किये, ना ही निगरानीकार व रामदयाल के अन्य विधिक वारिसान को सुनवाई का कोई अवसर

प्रदान किया गया। पट्टा संख्या 19 में वर्णित भूखण्ड में निगरानीकारान का हिस्सा व कब्जा आज दिनांक तक बदस्तुर है। इस प्रकार ग्राम पंचायत नान्द ने गैर निगरानीकार संख्या 1 के पक्ष में विवादित भूमि में गैर निगरानीकार संख्या 1 शर्मिला का कोई हिस्सा कब्जा व स्वामित्व नहीं होते हुए भी 300 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी कर दिया। पट्टा जारी करते समय विवादित भूखण्ड के सह हिस्सेदारों को किसी प्रकार की सूचना नोटिस जारी किये बिना ही ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर स्व० रामदयाल के विधिक वारिसान की सह हिस्सेदारी की भूमि में उक्त पट्टा जारी करवाया गया है। जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत नान्द द्वारा पट्टा पत्रावली शर्मिला पत्नि राजेश कुमार पत्रावली दिनांकित 25.08.2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 व उक्त निर्णय की पालना में की गई समस्त आगामी कार्यवाही को अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत नान्द तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने गैर निगरानीकार संख्या 3 से साज कर निगरानीकारान के सामुहिक हिस्से की भूमि का पट्टा जारी कर पंचायतीराज अधिनियम 1994 के प्रावधानों का उल्लघन किया है। रामदयाल के विधिक वारिसान के प्रत्येक के हिस्से में 1/9 – 1/9 हिस्सा भूमि आती है जिसमें गैर निगरानीकार संख्या 1 स्व० रामदयाल की विधिक वारिस नहीं है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत नान्द द्वारा पट्टा पत्रावली शर्मिला पत्नि राजेश कुमार पत्रावली दिनांकित 25.08.2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 व उक्त निर्णय की पालना में की गई समस्त आगामी कार्यवाही को अपास्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए विधि सम्मत तरीके से गैर निगरानीकार संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज की जावे।


अतिरिक्त विभागाध्यक्ष  
इन्दौर

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड ग्राम पंचायत नान्द एवं पट्टा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार ने अपने आवेदन में वर्णित भूमि को स्वयं ही पैतृक माना है। जबकि पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में विवादित भूमि स्व० रामदयाल की आबादी भूमि साबित होती है। तथा स्व. रामदयाल की वंशावली में गैर निगरानीकार संख्या 1 स्व. रामदयाल की वारिस नही होना साबित होता है। ग्राम पंचायत नान्द द्वारा आपत्ति मांगे जाने का उल्लेख तो रिकार्ड में है लेकिन आपत्ति ली जाने/चस्पादंगी/प्रकाशन का कोई प्रमाण पत्रावली में संलग्न नही है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत नान्द द्वारा गैर निगरानीकारान संख्या 1 जो कि स्व. रामदयाल की विधिक वारिस नही है। तथा ग्राम पंचायत नान्द द्वारा पट्टा जारी करते समय विवादित भूमि के विधिक हिस्सेदारों को इसकी कोई जानकारी नही दी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में ग्राम पंचायत नान्द द्वारा निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत नान्द द्वारा पट्टा पत्रावली शर्मिला पत्नि राजेश कुमार पत्रावली दिनांकित 25.08.2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 व उक्त निर्णय की पालना में की गई समस्त आगामी कार्यवाही को अपास्त करना उचित समझते है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नान्द द्वारा निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत नान्द द्वारा पट्टा पत्रावली शर्मिला पत्नि राजेश कुमार पत्रावली दिनांकित 25.08.2021 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 व उक्त निर्णय की पालना में की गई समस्त आगामी कार्यवाही को निरस्त किया जाता है। रिकार्ड ग्राम पंचायत नान्द फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत नान्द को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अनुराग कुमार आर्य),  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
झुन्झुनू।